खाता दुरूस्ती आवेदन पत्र (राजस्व अपील अधिनियम 1956 धारा 88) 2022/144 प्रशासन गांवों के संग अभियान 202

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
अजमेर।

विषय: राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम ऊंटड़ा पटवार मण्डल ऊंटड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गेगल तहसील अजमेर की जमाबन्दी सवत 2076 से स्थायी खाता सं. 206 में नाबालिग इमरान पुत्र बदरू सरक्षक सरपरस्तमाता रूडी जाति मुसलमान नि ऊंटड़ा के खाता सं. अकन है। जब कि जमाबन्दी सवत में अकन दर्ज था। उक्त अकन कालान्तर जमाबन्दी में बिना किसी अधिकार के गलत अकन हो गया। अतः जमाबन्दी में पूर्व जमाबन्दी सं. के अनुसार दुरूस्ती करने की कृपा करावें।

भवदीय
रिजवान
पता रिजवान
मोब 9983796443

स्थान: कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) अजमेर
क्रमांक/भू.अ./2023/60 दिनांक 28/4/23

जांच रिपोर्ट हल्का पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक/तहसीलदार

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की जांच की गई कि ग्राम ऊंटड़ा जमाबंदी संवत 2076 से स्थायी में खाता सं 206 में नाबालिग इमरान S/o बदरू सरक्षक सरपरस्तमाता जाति मुसलमान दर्ज है। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड में रिजवान पुत्र बदरूद्दीन का अकन है।

अकन दर्ज है जो गलत है। अतः उक्त अकन के स्थान पर नवीन अकन आधार कार्ड शपथ पत्र व ग्राम पंचायत ऊंटड़ा द्वारा लेटर पैड अनुसार अनुसार रिजवान पुत्र बदरूद्दीन जाति मुसलमान भूमि पैतृक है। प्रार्थी का नाबालिग इमरान पुत्र बदरू दुरूस्ती करने की अनुमति की जाती है। रिजवान पुत्र बदरूद्दीन जाति मुसलमान किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी

हस्ताक्षर भू अभिलेख निरीक्षक
28/4/23

तहसीलदार अजमेर
हस्ताक्षर तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर

क्रमांक:उखअ/राजस्व/शिविर/21/ 8 दिनांक: 29/4/23

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023

-:: आदेश ::-

रिपोर्ट व अनुशंसा पटवारी हल्का ऊंटड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गेगल व तहसीलदार अजमेर के आधार पर ग्राम ऊंटड़ा पटवार मण्डल ऊंटड़ा भू अभिलेख क्षेत्र गेगल तहसील अजमेर की जमाबन्दी के खाता सं. 206 खसरा नम्बर 1162, 1202 पर नवीन अकन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की पालना करने से पूर्व रिकार्ड का मिलान/जांच एवं मा. न्यायालय में वाद विचाराधीन एवं स्थगन आदेश की पूर्ण जानकारी करने के पश्चात ही रिकार्ड में अमल दरामद करावें।

~~(रिकार्ड में दर्ज खातेदार के नाम के अकन किये जाने के लिये निर्देशित करते हैं)~~

(निरस्त)

May reject application

उपखण्ड अधिकारी, अजमेर
29/4/2023

उपखण्ड अधिकारी एवं

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023

Scanned with CamScanner